

22
100

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय
रायपुर
—00—

क्रमांक-एफ 13-11/दो-गृह/न.से./09
प्रति,

रायपुर, दिनांक 07/09/2011

✓ महानिदेशक,
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा
छ.ग. रायपुर।

विषय :- होमगार्ड के स्वयं सेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति निर्देश संबंधी।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1/464/प्रशि./2011 दिनांक 30.08.2011.

—00—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि होमगार्ड के स्वयं सेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति निर्देश का अनुमोदन किया जा कर निर्देश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार, (1 से 18)

8 SEP 2011

30

D.G.	
I.G.	ue
A.C.G.	2/9
S.S.O.	
J.S.O./Q.M./AAO.	
O.S.	2/9
Section	2/9

ah
7.9.11
(ए0एच0 सिद्धिकी)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन (जेल)गृह विभाग

गुनिदेशक नगर सेना एतद द्वारा छत्तीसगढ होमगार्ड के स्वयं सेवी सैनिकों की भर्ती संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी करते हैं :-

-0-

वर्गीकरण वेतनमान इत्यादि:-

- (1) ये नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे।
 - (2) नियमित शासकीय सेवक की परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी।
 - (3) इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय व अन्य भत्ते ही प्राप्त होंगे।
2. (अ) चयन समिति:- राज्य के जिलों में होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिकों की भर्ती हेतु चयन समिति का गठन महानिदेशक नगर सेना द्वारा निम्नानुसार किया जावेगा:-
- | | | |
|-------|---|-----------|
| (एक) | एक संभागीय सेनानी या समकक्ष अधिकारी | - अध्यक्ष |
| (दो) | कलेक्टर द्वारा चयनित, एक प्रतिनिधि जो उप-जिलाध्यक्ष से नीचे स्तर का ना हो | - सदस्य |
| (तीन) | एक जिला सेनानी या समकक्ष अधिकारी | - सदस्य |
| (चार) | एक कंपनी कमाण्डर या प्लाटून कमाण्डर | - सदस्य |
- परन्तु चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य होगा।
- (ब) अपील कमेटी:- उम्मीदवारों की शारीरिक माप संबंधी विवाद के मामलों में अपील हेतु अपील कमेटी का गठन किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-
- एक शासकीय चिकित्सक तथा उनके सहायतार्थ अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कंपनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर स्तर का एक अधिकारी रहेगा परन्तु जो कम्पनी कमाण्डर/प्लाटून कमाण्डर शारीरिक माप प्रक्रिया में रहेंगे, उन्हें इस समिति में नहीं रखा जावेगा।
- यह कमेटी उम्मीदवारों की न्यूनतम शारीरिक माप / योग्यता के विवाद की दशा में की गई अपील का निराकरण करेगी। शारीरिक विकृति के संबंध में निर्णय के लिए शासकीय चिकित्सक का अभिमत अंतिम होगा।
3. भर्ती का तरीका:- (1) इन निर्देशों के प्रारंभ होने के पश्चात् भर्ती निम्न लिखित तरीकों द्वारा की जावेगी:-
- (क) प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा ;
 - (ख) मृत स्वयं सेवी नगर सैनिकों के कानूनी वारिस (उत्तराधिकारी) की समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन अनुकम्पा नियुक्ति द्वारा ।
 - (2) चयन प्रक्रिया में प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र देना होगा।
 - (3) अभ्यर्थी अनर्ह समझा जाएगा, यदि अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देता है या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाता है। ऐसे उम्मीदवार से संबंधित जानकारी नियुक्ति पश्चात् भी यदि प्रकाश में आता है तो उक्त अभ्यर्थी की सेवा बिना पूर्व सूचना के, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
 - (4) इस निर्देशों के तहत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

वर सचिव
प्र.ग. शासन
(जेल) विभाग

(एक) आवेदन पत्रों की छानबीन:-

आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी । यथा संभव आवेदन फार्म लेने के बाद समस्त प्रक्रिया कम्प्यूटराइज्ड होगी ।

(दो) शारीरिक माप का मान:-

प्रथम चरण के अन्तर्गत फार्म एवं दस्तावेजों की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने तथा निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों का शारीरिक नाप जोख कंडिका-5 के बिन्दु (5) के (क से घ) के अनुसार (आंखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जावेगा तथा आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को ही दिया जावेगा ।

उपरोक्त कार्यवाही (एक) आवेदन पत्रों की छानबीन (दो) शारीरिक माप का मान, जिला सेनानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पूर्ण किया जावेगा । समस्त निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी चयन प्रक्रिया प्रपत्र के प्रथम भाग में भरकर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा ।


(तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा जो कुल 100 अंको की होगी जिसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाएँ होगी:-

	पुरुषों के लिए	महिलाओं के लिए	कुल अंक
(अ)	100 मीटर दौड़	50 मीटर दौड़	25 अंक
(ब)	800 मीटर दौड़	200 मीटर दौड़	25 अंक
(स)	लम्बी कूद	लम्बी कूद	25 अंक
(द)	ऊंची कूद	ऊंची कूद	25 अंक

प्रत्येक परिणाम के लिए दिए जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची "अ" में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ।

उपरोक्त सभी आयटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा । सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंको में से 50 प्रतिशत तथा अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आयटमों में भाग लेना अनिवार्य होगा । अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसका तत्काल निराकरण किया जावेगा । इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा । शारीरिक प्रवीणता टेस्ट सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जावेगा । रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जावेगी । शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का तत्काल रिकार्ड रखने विवादों को समाप्त कर परीक्षा प्रवेश पत्र का कार्य करने वाला एक बहुउद्देशीय कार्ड का आदर्श नमूना संलग्न है जिसे अनिवार्यतः अपनाया जावे ।


प्रवर सचिव
उ.ग. शासन
(जेल) विभाग

(चार) लिखित परीक्षा:-

शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा अर्थात् लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी तथा इसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जावेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त/अधिकृत अन्य एजेन्सी के द्वारा कराया जा सकेगा। इस परीक्षा में भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत एवं अनु0जाति, अनु0जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टीप :- लिखित परीक्षा हेतु "एजेन्सी" का निर्धारण विभागाध्यक्ष से प्राप्त विभागीय प्रस्ताव पर शासन स्तर पर विचार किया जावेगा।

(पाँच) बोनस अंक:-

विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 20 बोनस अंक निर्धारित किए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	विवरण	बोनस अंक
1.	जिसने विद्यालय/महाविद्यालय का कम से कम संभाग स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में पिछले तीन वर्षों में कभी भी प्रतिनिधित्व करते हुए टीम अथवा व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक प्राप्त किया हो।	05 अंक
2.	नाविक, तैराक एवं गोताखोर, चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	10 अंक
3.	एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र धारी	05 अंक
4.	ड्राइविंग लाइसेंस हैवीवाहन	05 अंक
5.	नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राज मिस्त्री, प्लम्बर, और माली (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बढई का (इनमें से किसी एक ट्रेड के लिये) अधिकृत संस्था का सर्टीफिकेट प्रस्तुत करने एवं चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक दिए जावेंगे।	05 अंक
6.	उम्मीदवार जो मान्यता प्राप्त संस्थान से हिन्दी टायपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण पत्र रखता हो, उसे ही बोनस अंकों की पात्रता होगी।	05 अंक

अवर सचिव
उ.न. शासन
गृह (जेल) विभाग

- टीप : (क) उपरोक्त सरल क्रमांक-5 में उल्लेखित दो या दो से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अधिकतम 20 बोनस अंकों के ही पात्र होंगे ।
- (ख) अनस्किल्ड ट्रेड के लिए जिला स्तरीय उप समिति परीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी करेगी ।
- (ग) बोनस अंको के लिए अधिकतम 20 अंक निर्धारित है किसी भी उम्मीदवार को 20 बोनस अंको से अधिक प्रदान नहीं किए जाएंगे, भले ही वह 20 बोनस अंको से अधिक की योग्यता रखता हो ।
- (घ) बोनस अंक वरीयता सूची (मेरिट सूची) तैयार करते समय ही दिए जावेंगे। इससे पूर्व किसी स्तर पर बोनस अंक नहीं दिए जावेंगे।

उपरोक्त विशेष योग्यता पर दिए जाने वाले बोनस अंको का उल्लेख विज्ञापन में स्पष्ट रूप से किया जावे।


(छ:) चयन सूची:- शारीरिक प्रवीणता टेस्ट 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस 20 अंक(केवल पात्रतानुसार) कुल पूर्णांक 220 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी । सर्वप्रथम सभी वर्गों के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जावेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अजा/अजजा/अपिव) के वे अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित वर्ग के लिए सभी योग्यता पूर्ण करते हों। शेष अभ्यर्थियों में से अजा/अजजा/अ.पि.व. के अभ्यर्थियों की उनके अपने अपने जाति वर्ग के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के लिए पृथक सूचियाँ बनाई जावेगी।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिए पृथक सूचियाँ बनाई जावेगीं किन्तु चूंकि महिलाओं का आरक्षण खंडवार सीधा आरक्षण है तथा योग्य महिलाएं उपलब्ध न होने से पद आगामी वर्ष के लिए अग्रेषित नहीं किए जायेंगे । अतः जिस वर्ग की योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होंगी उस पद को उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरा जावेगा ।

विज्ञापित पदों की कुल संख्या का 25 प्रतिशत वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

(सात) चयन सूची का अनुमोदन:

लिखित परीक्षा के पश्चात् तत्काल चयन सूची तैयार की जाकर नगर सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार चयन समिति द्वारा समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक नगर सेना को अनुमोदन हेतु भेजी जावेगी । नगर सेना मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी किए जावेंगे।


अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

चयन सूची का परीक्षण करते समय मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जावे:-

- (अ) क्या भर्ती नियमानुसार की गई है?
(ब) क्या भर्ती में आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है?
(स) भर्ती के दौरान कोई गंभीर अनियमितता या ऐसी शिकायत तो सामने नहीं आई है जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती हो?
(द) कोई अन्य चूक त्रुटि या लापरवाही तो परिलक्षित नहीं हो रही है? यदि महानिदेशक नगर सेना उपरोक्त त्रुटिपाते हैं तो भर्ती की कार्यवाही निरस्त करने संबंधी स्पष्ट आदेश जारी करेंगे। केवल अंक गणितीय चूक के आधार पर भर्ती तभी निरस्त की जावेगी जब तक कि यह स्पष्ट न हो जावे कि इसके कारण अभ्यर्थियों के चयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अप्रमाणित शिकायतों अथवा जन चर्चा के आधार पर भर्ती निरस्त नहीं की जा सकेगी।

चयन सूची या तो पूरी तरह अनुमोदित की जावेगी अथवा पूरी तरह निरस्त की जावेगी। अनुमोदन के पूर्व महानिदेशक नगर सेना सभी आवश्यक रिकार्ड परीक्षण हेतु बुला सकेंगे।

4. स्वयं सेवी सैनिकों की नियुक्ति:-

- (1) इन निर्देशों के प्रयुक्त होने के पश्चात् स्वयं सेवी सैनिकों का नामांकन, नामांकन प्राधिकारी (संभागीय सेनानी) द्वारा किया जावेगा। नामांकन आदेश चयन सूची के वरिष्ठता क्रम में जारी किए जावेंगे।
- (2) चयनित उम्मीदवारों का चरित्र सत्यापन निर्धारित अनुप्रमाणन प्रपत्र में संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजकर विधिवत कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर संबंधित उम्मीदवार को जिला सेनानी द्वारा तत्काल नगर सेना से पृथक कर नगर सेना मुख्यालय को सूचित किया जावेगा।
- (3) चयनित उम्मीदवारों का नामांकन आदेश जारी करने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा। पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए उम्मीदवारों को प्रथम तीन वर्ष के लिए संस्था में नामांकित किया जावेगा, उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में स्वयं सेवी सैनिकों के अनुषासन एवं डियुटियों की पुनःनामांकन समिति द्वारा समीक्षा की जावेगी। सैनिक का अनुषासन एवं डियुटियां अच्छी पाये जाने पर ही पुनः नामांकन समिति द्वारा ऐसे सैनिकों को अगले तीन वर्ष के लिए पुनःनामांकित किया जावेगा। ऐसे पुनः नामांकन की अवधि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सीमित होगी, अर्थात् 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् पुनःनामांकन नहीं किया जावेगा।
- (4) सीधी भर्ती हेतु आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन करते हुए जिला इकाइयों के भर्ती आरक्षण रोस्टर के अनुसार वर्गवार विभाजन विज्ञापन में स्पष्ट कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जावेगा।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 कमांक 21 सन् 1994 की धारा 4 (2) सहपठित (छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार जिला स्तर पर भरे

अवर सचिव
छ.ग. शासन
ह (जेल) विभाग

जाने वाले आरक्षित एवं सामान्य श्रेणी के अनारक्षित वर्ग के पदों पर भी प्रभागवार महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना होगा। महिलाओं का आरक्षण हॉरिजोन्टल होगा। इस आरक्षण के अन्तर्गत भरे जाने वाले पदों को उसी जाति/वर्ग/समुदाय के आरक्षित प्रतिशत के अंतर्गत समायोजित किया जावेगा। जो जिस समुदाय का होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य जाति कोई वर्ग नहीं है। इसके अंतर्गत सभी उम्मीदवार मेरिट के आधार पर इसमें स्थान प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, भले ही उनकी अपनी जातिवर्ग का आरक्षण क्यों न हो।

(6) शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30 प्रतिशत हॉरिजोन्टल आरक्षण रहेगा।

सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें:-

- (1) उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा।
- (2) उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- (3) उम्मीदवार का आचरण पूर्ववत् अच्छा होना चाहिए।
- (4) आयु:- किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक को 19 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(5) शारीरिक अर्हता:-

(क) ऊंचाई:- 168 से.मी. या उससे अधिक (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) 153 से.मी. या उससे अधिक (राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जशपुर के अनुसूचित जन जाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 158 से.मी. या अधिक (शेष राजस्व जिलों के अनुसूचित जनजाति के पुरुष तथा सभी वर्ग की महिलाओं के लिए)

(ख) सीना:- बिना फुलाए 81 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए 76 से.मी.) तथा फुलाने पर 86 से.मी. (अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु 81 से.मी.) (अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार छूट नहीं दी जावेगी) (महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त रहेंगी)

नोट- (1) महानिदेशक नगर सेना द्वारा ऊंचाई में दी जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा 5 सें.मी. तय की जाती है।

(2) महानिरीक्षक/एडिशनल कमांडेंट जनरल नगर सेना द्वारा ऊंचाई में दी जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा 3 सें.मी. तय की जाती है।

(उक्त छूट मृत नगर सैनिको/ कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/विधवा को दिया जावेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के नक्सल पीड़ितों को कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ दिया जावेगा)।

प्रवर सचिव
उ.ग. शासन
(जिले) विभाग

(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी में नाक नी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए। यह अर्हता सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से अयोग्य अभ्यर्थियों के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा अपील करने की स्थिति में अपील समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श लिया जा सकेगा।

अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/9 तथा दूसरी आंख की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी को सक्षम होना चाहिए।

(6) शैक्षणिक अर्हताएँ:-

(01) सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(02) अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6. निरर्हता:- अभ्यर्थी की ओर से अपने चयन के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास चयन समिति द्वारा परीक्षा/चयन प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा।

7. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय -

परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को जिसे समिति द्वारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया हो, परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:-

(1) नगर सेना मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार भर्ती की कार्यवाही जिला इकाइयों में की जावेगी। कोई विशिष्ट कानून व्यवस्था अथवा अन्य समस्या होने पर नगर सेना मुख्यालय भर्ती कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन कर सकेगा। भर्ती हेतु विज्ञापन नगर सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार जिला इकाइयों द्वारा किया जावेगा।

(2) जारी किए जाने वाले विज्ञापन को कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील एवं ब्लाक कार्यालय में सूचना पटल पर चिपकाये जाने की व्यवस्था की जावे। ताकि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों तक सूचना आसानी से पहुँच सके।

(3) सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जावेंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क-21-सन् 1994) के प्रावधानों और राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं।

(29)

117

सचिव
शासन
(ल) विभाग

(4) शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। विभाग मंत्रिपरिषद के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकेगा। यह आरक्षण हॉरिजोन्टल रहेगा।

समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची:-

(1) इन निर्देशों के अध्यधीन उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सूची में से उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं। वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी चयन सूची/प्रतीक्षा सूची सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने से 03 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगी।

(2) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे यह समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सैनिक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

10. चयन सूची से नियुक्ति:-

(1) सीधी भर्ती के लिए अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं बोनस अंक में अभिप्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जावेगी। नियुक्तियों स्वयं सेवी सैनिकों की रिक्त पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए गुणागुण सूची से की जावेगी। परन्तु यह कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जावेगा, जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक सामान्य जाति के सदस्य तथा 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों ने प्राप्त किए हों।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निश्चित की जावेगी। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जावेगा। यदि जन्म तिथि व प्राप्तांक समान हों तो आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

संवि
शासन
1) विभाग

11.

सीमित अवधि की स्वयं सेवा तथा प्रशिक्षण:-

(1) विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे कि यह नियमित सेवा नहीं है वरन सीमित अवधि की स्वयं सेवा है जिसके बदले उन्हें शासन द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान किया जावेगा। उन्हें यह जानकारी भी दे दी जावे कि होमगार्ड में उन्हें भर्ती के उपरांत तीन वर्ष के लिए नामांकित किया जावेगा और इस अवधि के पश्चात् पुनः नामांकन होने का कोई अधिकार नहीं है।


(2) चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 05 दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार 05 से अधिक एवं 07 दिवस के भीतर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होता है तो संभागीय सेनानी की अनुमति से ही प्रशिक्षण में शामिल किया जा सकेगा। 07 दिवस से अधिक होने पर महानिदेशक नगर सेना की अनुमति आवश्यक होगी।

(3) प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी को 34 कार्य दिवस का बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा निर्धारित कालआउट संख्या के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा आव्हानित (कालआउट) किए जाने पर ही सैनिकों को डियुटी में रखा जावेगा।

12. सामान्य निर्देश:-

- (1) जिला सेनानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी। यह कमेटी उम्मीदवारों के आवेदन पत्रों की छानबीन तथा शारीरिक नाप तौल करके प्रथम भाग को विधिवत भरते हुए चयन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
- (2) चयन प्रक्रिया प्रपत्र वर्गवार तैयार किया जावेगा: (1) सामान्य (2) अनु0 जनजाति (3) अनु0 जाति (4) अन्य पिछड़ा वर्ग। यह प्रपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जावेगा। दोनों ही प्रतियाँ अनुमोदन हेतु नगर सेना मुख्यालय भेजी जावेगी।
- (3) चयन सूची व प्रतीक्षा सूची नगर सेना मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकाशित की जावेगी। जिला सेनानी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कार्यालयीन सूचना पटल पर इस प्रकार चस्पा की जावे कि वह जनसामान्य के लिए अवलोकनीय है।
- (4) अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम में 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार ही की जावेगी।
- (5) भर्ती के सभी रिकार्ड एवं रफ कार्य सुरक्षित रखा जावेगा। यह भर्ती समाप्त होने के तीन वर्ष बाद ही नष्ट किया जा सकेगा बशर्ते भर्ती के संबंध में कोई जांच न चल रही हो या प्रस्तावित न हो अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित न हो।
- (6) सभी रिकार्ड स्याही अथवा बाल पेन से लिखा जावेगा।
- (7) शारीरिक नाप जोख एवं प्रवीणता में एकरूपता एवं पारदर्शिता के लिए नमूना कार्ड का प्रारूप अनुसूची 'स' के तौर पर निर्देश के साथ संलग्न है।

महानिदेशक,
नगरसेना छत्तीसगढ़


7.9.11

अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

अनुसूची 'अ'

इवेन्ट्स के अनुसार अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा :-

दौड़ पुरुष 100 मीटर एवं महिला 50 मीटर -
पुरुष 100 मीटर दौड़ महिला 50 मीटर दौड़

समय सेकेण्ड	अंक	समय सेकेण्ड	अंक
13 सेकेण्ड तक	25	08 सेकेण्ड तक	25
14 सेकेण्ड तक	20	09 सेकेण्ड तक	20
15 सेकेण्ड तक	15	10 सेकेण्ड तक	15
16 सेकेण्ड तक	12	11 सेकेण्ड तक	12
16 सेकेण्ड से अधिक	00	11 सेकेण्ड से अधिक	00

दौड़ पुरुष 800 मीटर एवं महिला 200 मीटर -
पुरुष 800 मीटर दौड़ महिला 200 मीटर दौड़

समय सेकेण्ड	अंक	समय सेकेण्ड	अंक
02 मिनट 30 सेकेण्ड तक	25	40 सेकेण्ड तक	25
02 मिनट 40 सेकेण्ड तक	20	45 सेकेण्ड तक	20
02 मिनट 50 सेकेण्ड तक	15	50 सेकेण्ड तक	15
03 मिनट तक	12	55 सेकेण्ड तक	12
03 मिनट से अधिक	00	55 सेकेण्ड से अधिक	00

लम्बी कूद एवं उंची कूद पुरुष एवं महिला -

पुरुष लम्बी कूद महिला लम्बी कूद

लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर या अधिक	25	03मी0 75सें0मी0 या अधिक	25
04 मीटर 50 सें0मी0 तक	20	03 मीटर 25 सें0मी0 तक	20
04 मीटर तक	15	02 मीटर 75 सें0मी0 तक	15
03 मीटर 50 सें0मी0 तक	10	02 मीटर 25 सें0मी0 तक	10
03 मीटर 25 सें0मी0 तक	05	02 मीटर तक	05
03 मीटर 25 सें0मी0 से कम	00	02 मीटर से कम	00

पुरुष उंची कूद महिला उंची कूद

लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
01 मीटर 50 सें0मी0 तक	25	01 मीटर 20 सें0मी0 तक	25
01 मीटर 40 सें0मी0 तक	20	01 मीटर 15 सें0मी0 तक	20
01 मीटर 30 सें0मी0 तक	15	01 मीटर 10 सें0मी0 तक	15
01 मीटर 20 सें0मी0 तक	10	01 मीटर 05 सें0मी0 तक	10
01 मीटर 10 सें0मी0 तक	05	01 मीटर तक	05
01 मीटर 10 सें0मी0 से कम	00	01 मीटर से कम	00

सचिव
शासन
विभाग

अनुसूची "ब"


ययन प्रपत्र दो भागों में बनाया जावेगा । प्रथम भाग में उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी या द्वितीय भाग में बाह्य (शारीरिक दक्षता) परीक्षा, लिखित परीक्षा, विशेष योग्यता संबंधी जानकारी रहेगी ।

1- प्रथम भाग- प्रथम भाग में निम्नलिखित कालम होंगे :-

- 01-कमांक
- 02-उम्मीदवार का नाम
- 03-पिता का नाम
- 04-जाति
- 05-स्थायी पता-ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील
- 06-जन्म तिथि-
- 07-शैक्षणिक योग्यता
- 08-उंचाई
- 09-सीना बिना फुलाये, फुलाने पर

2- द्वितीय भाग- द्वितीय भाग में निम्नलिखित कालम होंगे :-

- 01-कमांक
- 02-अनुकमांक
- 03-नाम
- 04-पिता का नाम
- 05-100 मीटर दौड़/50 मीटर दौड़
- 06-800 मीटर दौड़/200 मीटर दौड़
- 07-लम्बी कूद
- 08-उंची कूद
- 09-योग कालम 5 से 8 तक का
- 10-लिखित परीक्षा प्राप्तांक
- 11-विशेष योग्यता के प्राप्तांक (बोनस अंक)
- 12-महायोग कालम 9,10,11
- 13-उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण
- 14-वरीयता क्रम
- 15-विशेष योग्यता का विवरण


अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (नेल) विभाग

अनुसूची "स"
नमूना कार्ड

34

122

होमगार्ड स्वयं सेवी चयन परीक्षा माह..... वर्ष.....

जिला..... परीक्षा प्रवेश एवं प्रदर्शन पत्र/कार्ड
क्रमांक..... रोल नम्बर.....
रोजगार पंजीयन क्रमांक.....
उम्मीदवार का नाम..... पिता का नाम.....
वर्ग..... श्रेणी.....
पुरुष/महिला..... जन्म तिथि.....
शैक्षणिक योग्यता.....
परीक्षा दिनांक..... परीक्षा स्थल.....

हस्ताक्षर उम्मीदवार

हस्ताक्षर दस्तावेज चेकिंग टीम प्रभारी

नोट : शारीरिक परीक्षा पूर्व यह कार्ड आवेदक को शारीरिक नाप जोख के बाद दिया जावेगा तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उपरांत उसके हस्ताक्षर लेकर वापस ले लिया जावेगा । लिखित परीक्षा के समय इस कार्ड पर उसके तथा परीक्षा कक्ष प्रभारी के हस्ताक्षर लिये जावेंगे ।

शारीरिक माप तौल का विवरण

उंचाई से.मी.

सीना बिना फुलाए
फुलाने पर

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर

परीक्षा विवरण :

सं0क्रं0	आइटम का नाम	समय/माप	प्राप्तांक पूर्णांक	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	हस्ताक्षर
01	100/50 मीटर दौड				अवर सचिव छ.ग. शासन गृह (जेल) विभाग
02	800/200 मीटर दौड				
03	लम्बी कूद				
04	उंची कूद				

क्या लिखित परीक्षा में उपस्थित हुआ, ? यदि हाँ तो आवेदक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर शारीरिक प्रवीणता टेस्ट प्रभारी

हस्ताक्षर लिखित परीक्षा कक्ष प्रभारी

35

16

123

आवेदन पत्र का नमूना
(आवेदक इसे अपने स्वच्छ / स्पष्ट अक्षरों में स्वयं भरेंगे)

जिला सेनानी
जिला

सत्यापित छायाप्रति

01 आवेदक का नाम :-
02 पिता का नाम :-
03 जन्म तिथि अंकों में :-
शब्दों में :-
..... को आयु वर्ष माह दिन

04 पहचान चिन्ह

05 शैक्षणित योग्यता :-

विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण कक्षा
	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण
	कक्षा दसवीं उत्तीर्ण
	कक्षा 12वीं उत्तीर्ण

06 वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :-


07 स्थायी पता :-

08 रोजगार कार्यालय का पंजीयन :-
(अ) पंजीयन क्रमांक
(ब) पंजीयन दिनांक
(स) वैधता दिनांक

09 क्या आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग / अ.जा. / अ.ज.जा. / अपिव के सदस्य है ? (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-
हाँ / नहीं
यदि हाँ तो वर्ग

10 क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है ? :-
हाँ / नहीं

11 क्या आप किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए है ? क्या आप पर


अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

अभियोजन चलाया गया है?
यदि हुआ है, जुर्माना हुआ है
या आप किसी अपराध में
न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए
हैं तो पूर्ण विवरण दिया जाने साथ
ही अपराध क्रमांक/धारा/साना
एवं जिला सहित पूर्ण विवरण दर्शावें

(36)

(5)

31/11

(124)

12. क्या आप पर वर्तमान में :- हॉ/नहीं
किसी न्यायालय विश्वविद्यालय
किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण
संस्था में आपके विरुद्ध कोई
मामला लंबित है ? विवरण दें

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही-और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ। जिसके कारण होमगार्ड स्वयं सेवी सैनिक पद पर नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना किसी सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवा समाप्ति का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

संलग्न :-

(प्रमाण पत्रों का विवरण एवं संख्या)

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

अवर सचिव
छ.ग. शासन
गृह (जेल) विभाग

टीप :- आवेदन पत्र के साथ एवं हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ संलग्न करें। प्रमाण-पत्रों की जांच के समय मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

370 57

308

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर
—00—

क्रमांक - एफ 13-11/घो-गृह/न.से./09
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2013

महानिदेशक,
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा,
छ.ग. रायपुर।

विषय :- होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिक महिलाओं की भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन।
संदर्भ :- आपका ज्ञाप क्रमांक/384/प्रशि./2013, दिनांक 17.08.2013.

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में आदेशानुसार लेख है कि विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2011 में संलग्न भर्ती निर्देश की कड़िका-3 भर्ती का तरीका (तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु महिलाओं के लिए निहित निर्देश में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

वर्तमान निर्देश	संशोधित निर्देश	कुल अंक
(अ) 50 मीटर दौड़	800 मीटर दौड़	25 अंक
(ब) 200 मीटर दौड़	पुल अप प्रतिस्पर्धा	25 अंक

800 मीटर दौड़ के लिए अंकों का निर्धारण	
समय मिनट में	अंक
3 मिनट तक	25 अंक
3.01 से 4 मिनट तक	20 अंक
4.01 से 5 मिनट तक	15 अंक
5.01 से 6 मिनट तक	10 अंक
6.01 से 7 मिनट तक	05 अंक
7.01 मिनट के बाद	00 अंक

पुल अप के लिए अंकों का निर्धारण	
बार	अंक
7 से अधिक	25 अंक
6	20 अंक
5	15 अंक
4	10 अंक
3	05 अंक
3 से कम	00 अंक

JUL 2013

29.8.13
(ए०एच० सिद्दिकी)
अवर सचिव
मंत्रालय नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन

गृह विभाग,

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर.

कमाक-एफ.13-11/दो-गृह/न0से0/2009,

रायपुर, दिनांक 24/07/2013


प्रति,

✓ महानिदेशक,
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा,
छत्तीसगढ़।

विषय:- होमगार्ड के स्वयंसेवी सैनिक महिलाओं की भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन।

विषयान्तर्गत इस विभाग के समसख्यक ज्ञाप दिनांक 29/06/2013 द्वारा प्रेषित पत्र त्रुटिपूर्ण जारी हुआ था, अतः इसके स्थान पर निम्नानुसार अनुमोदन किया जाता है-

"विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 07/09/2011 में संलग्न भर्ती निदेश की कण्डिका-3 भर्ती का तरीका (तीन) शारीरिक दक्षता परीक्षा विषयान्तर्गत भर्ती में उस तरीके में ली जावेगी जैसा महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा द्वारा निर्धारित किया जाये।"



(सुनील विजयवर्गीय)

अवर सचिव,


छ0ग0शासन, गृह विभाग

JUL 2013

छत्तीसगढ़ शासन
गृह विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक-२२२१ / 356 / दो-गृह / न.से. / 2017,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 22/12/2017



महानिदेशक,
नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा,
छ0ग0 नया रायपुर ।

विषय :- नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 572/प्रशि0/2017 दिनांक 18.09.2017 एवं पत्र क्रमांक/पुमनि/बस्तर/स्था./2018/17, दिनांक 31.05.2017

—00—

विषयान्तर्गत विभागीय सगसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2011 द्वारा होगगार्ड के स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती एवं पदोन्नति निर्देश के कड़िका 5 उपकड़िका (4) एवं (6) पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

(4) आयु :- किसी भी वर्ग के उम्मीदवार की आयु भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक को 19 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

"आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।"

(6) शैक्षणिक अर्हताएँ :-

(01) सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।


(02) अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(03) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य, आ0पि0वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक होगा।

(कर्मचारी सहायक) 7
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

o/c.



11/210